

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग

निबंधित

पत्रांक—.....

दिनांक—.....

5 स० अपील (चन्द्रा रेडिमेन्ड)04 / 2016

प्रेषक,

उप सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सर्वश्री चन्द्रा रेडिमेन्ट गारमेन्ट  
एक्सपोर्ट हाउस प्लॉट नं०-C-23,  
औद्योगिक क्षेत्र पाटलीपुत्रा, पटना-13

विषय:-

दायर अपीलवाद सं०-04 / 2016 में परित आदेश के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सर्वश्री चन्द्रा रेडिमेन्ट गारमेन्ट बनाम बियाडा के मामले में  
सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु०-

विश्वासभाजन

ह०/-

उप सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 2089

दिनांक:- 21-05-18

प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पटना को पारित आदेश की  
छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित / आई० टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार पटना  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

आ दे श फ ल क  
अपील संख्या 04 / 2016  
सर्वश्री चन्द्रा रेडिमेड गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस, पाटलीपुत्रा, पटना  
बनाम्  
प्रबंध निदेशक, बिहार, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

09.05.2018

प्रश्नगत अपील मेसर्स चन्द्रा रेडिमेड गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस, पाटलीपुत्रा, पटना द्वारा के आदेश ज्ञापांक 35/डी0 दिनांक 05.01.2016 के विरुद्ध दायर किया गया है।

अपीलकर्ता के बताया गया कि 'बियाडा' द्वारा उन्हें औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्रा, पटना कुल रकवा 1875 वर्गफीट भूमि उद्योग लगाने हेतु कार्यालय पत्रांक 339 दिनांक 29.03.2001 आवंटित किया गया था। इकाई द्वारा परिसर का निर्माण कराये जाने के बावजूद बियाडा द्वारा 1650 दिनांक 05.06.2007 द्वारा भूखंड को रद्द कर दिया गया। अंत में अपीलकर्ता ने बियाडा आदेश ज्ञापांक 35/डी0 दिनांक 23.07.2016 को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

अपीलकर्ता के तर्कों को सुनने एवं समर्पित लिखित अभिकथन के अवलोकन से यह स्पष्ट कि इकाई के स्वामी एक यूवा उद्यमी हैं। जिन्होंने अवगत कराया कि इकाई के संचालन हेतु अपील को स्वीकृत करने की कृपा की जाए। इकाई के स्वामी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना C.W.J.C. No- 3239/2017 दाखिल किया गया था। उक्त C.W.J.C. No- 3239/2017 में 17.03.2017 को पारित न्यायादेश का अवलोकन किया गया। यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान में कार्यरत है। सम्प्रति बियाडा के क्षेत्रीय प्रभारी के प्रतिवेदन पत्रांक 23 दिनांक 06.04.2017 भिजा है। कि इकाई वर्तमान में कार्यरत है किन्तु उक्त इकाई द्वारा एक फैंक्ट्री आउट-लेट शौ बनवाया गया है। अपीलकर्ता को यह निदेश दिया जाता है कि वे निर्मित फैंक्ट्री आउट-लेट शौ को अविलम्ब बन्द कर दें एवं बियाडा द्वारा अनुमत पोशाक निर्माण की कार्रवाई ही किया बियाडा इस आदेश के पश्चात् निरीक्षण करने हेतु स्वतंत्र है। यदि यह पाया जाता है कि इकाई अनुमत शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो बियाडा पुनः अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र तदनुसार अपीलालय आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

2. बियाडा के सक्षम प्राधिकार एतत् संशोधित आदेश निर्गत करें।

18/5/2018  
(डॉ० एस० सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

लेखापित एवं शुद्धित,

18/5/2018  
प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।